न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : देवेन्द्र कुमार आई०ए०एस०

अपील संख्या0 08/2026

कमलेश पुत्र जगदीश मीना निवासी मीणों की ढाणी, लाडपुरा वार्ड नं. 4 ग्राम पंचायत लाडपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

.......अपी०

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लालसोट

रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.02.2026 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट

उपस्थितः 1. अपीलांट

निर्णय

दिनांक 11.03.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना एवं पत्नि हीरा देवी का नाम पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत थलोज/चांदसेन से नाम हटाने (प्रपत्र 2)एवं ग्राम पंचायत लाडपुरा की मतदाता सूची मे नाम जोडने संबंधी आवेदन (प्रपत्र 1) पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट के उक्त आदेश दिनाक 14.02.2026 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट की तलबी की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट को अपील की प्रति भेजकर मूल अभिलेख व रिपोर्ट मय टिप्पणी तलब की गई।
3. अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपना एवं पत्नि हीरा देवी का नाम दिनांक 02.02.2026 को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रारुप संख्या 1 को भरकर अपना स्वयं का नाम निर्वाचक नामावली के ग्राम पंचायत लाडपुरा मे नाम जुडवाने एवं प्रारुप–2 द्वारा ग्राम पंचायत चांदसेन से पृथक करने हेतु आवेदन/आक्षेप प्रस्तुत किया।
4. प्रारुप संख्या 2 पर पटवारी हल्का चांदसेन की रिपोर्ट दिनांक 08.02.2026 में अपीलांट एवं उनकी पत्नि हीरा देवी का नाम का वर्तमान निवास लाडपुरा होना बताया गया हैं। साथ ही पटवारी हल्का ग्राम लाडपुरा से रिपोर्ट ली जाने की अनुशंसा की जिसमें दिनांक 08.02.2026 को पटवारी हल्का लाडपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट का ग्राम लाडपुरा में पक्का मकान निर्माणाधीन बताया गया तथा अपीलांट का वर्तमान में उक्त निर्माणाधीन मकान में निवास नहीं करना अंकित किया गया। साथ ही पुनः अंकित पटवारी हल्का चांदसेन की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 में अपीलांट का निवास ग्राम पंचायत चांदसेन में अंकित किया गया हैं। प्रारुप संख्या 2 पर बीएलओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट एवं उनकी पत्नि हीरा देवी ग्राम पंचायत चांदसेन से स्थायी रूप से लाडपुरा में स्थानान्तरित होकर स्वेच्छा से ग्राम पंचायत लाडपुरा में निवास करने के कारण नाम पृथक करवाये जाने संबंधी रिपोर्ट अंकित की हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा किये गये निर्णय में अपीलांट एवं उनकी पत्नि हीरा देवी का निवास [illegible] जाकर आक्षेप दावा प्रपत्र 2 अस्वीकार कर दिया गया।
5. प्रारुप संख्या 1 पर अंकित एईआरओ [illegible] के अनुसार अपीलांट के राशन कार्ड, बिजली बिल, जमाबंदी संबंधी निवास [illegible] के हैं, किन्तु अपीलांट का ग्राम पंचायत लाडपुरा में निवासी नहीं करना बताया गया है। [illegible] बी०एल० ओ० द्वारा [illegible] ग्राम पंचायत चांदसेन से स्थायी रूप से स्थानान्तरित होकर ग्राम पंचाय[illegible]लाडपुरा वार्ड संख्या 4 में [illegible] बताया जाकर नाम जोडने की अनुशंसा की गयी। इन रिपोर्टों के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

(एसडीएम) लालसोट द्वारा किये गये निर्णय में अपीलांट का निवास थलोज/चांदसेन में ही बताया जाकर आक्षेप दावा प्रपत्र 1 अस्वीकार कर दिया गया।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा दिनांक 14.02.2026 को किये गये निर्णय में दावे एवं आपत्ति के आवेदनों (प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2) पर अंकित पटवारी, एईआरओ, बीएलओ रिपोर्ट तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय की टिप्पणी में भिन्नता हैं।

7. अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई पर प्रस्तुत दस्तावेजों परिवार राशन कार्ड, जमाबंदी, बिजली बिल, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। साथ ही ग्राम पंचायत लाडपुरा के निवासी 1.कमलेश पुत्र कंवरपाल मीना, 2. महेन्द्र पुत्र प्रेमराज मीना, 3. हनुमान पुत्र राजाराम मीना, 4. नाथूलाल पुत्र प्रहलाद मीना, 5. हरीशंकर पुत्र कन्हैयालाल बैरवा, 6. हरसहाय पुत्र कन्हैयालाल बैरवा, 7. हनुमान पुत्र रामफूल मीना, 8. रामावतार पुत्र कालूराम मीना, 9. रामकेश पुत्र हरिराम मीना के शपथ पत्र संलग्न हैं जिनमें अपीलांट एंव उनकी पत्नी का निवास ग्राम पंचायत लाडपुरा होना अंकित किया हैं।

8. राजस्थान पंचायत राज नियम 1994 की धारा 18 का हवाला निर्णय मे दिया गया है। जिसमे स्पष्ट तौर से लिखा है कि धारा 18 में Subject to the provisions of Sub-sec. (3) to (6), every person who – is not less than eighteen years of age on the qualifying date and is ordinarily resident in a ward or constituency of the Panchayati Raj institution concerned. Shall be entitled to be registered in the electoral roll for the ward of constituency." के आधार पर अपीलांट का आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट का निर्णय दिनांक 14.02.2026 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच करते हुए पक्षकार को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य साक्ष्य जो अधीनस्थ कार्यालय को उचित लगे एकत्रित कर, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 18.03.2026 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (एसडीएम) लालसोट द्वारा अपना आदेश पारित किया जावे। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested